

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 20/2023

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा कार्यालय पता-441 ए, राजापार्क गली नंबर-4, राजापार्क, जयपुर 302004 जरिये प्राधिकृत अधिकारी रामफूल मीणा

बनाम

...प्रार्थी

1. मैसर्स राजस्थान एज्युकेशन इन्सटीटयुट एण्ड हैल्थ सोसायटी पता-
(1) सोमनाथ नगर, रेल्वे कोसिंग के पास, गणेशपुरा रोड दौसा राजस्थान
(2) खसरा नंबर 112, ग्राम गणेशपुरा दौसा राजस्थान
2. डॉ. छुट्टन लाल मीणा पुत्र श्री कालू राम मीणा, पता-81 बी, सोमनाथ नगर, रेल्वे कोसिंग के पास दौसा राजस्थान (डाईरेक्टर) (ऋणी)
3. डॉ0 राम सागर नागर पुत्र श्री मांगी लाल नागर पता- के-66, श्याम नगर, किशन नगर, जयपुर राजस्थान- 302001 (अध्यक्ष)
4. प्रेम मीणा पत्नि श्री छुट्टन लाल मीणा, पता-81 बी, सोमनाथ नगर, रेल्वे कोसिंग के पास दौसा राजस्थान (ट्रेजरर)
5. डॉ. राजकुमारी नागर पत्नि डॉ0 राम सागर नागर पता- के-66, श्याम नगर, किशन नगर, जयपुर राजस्थान- 302001 (सचिव)
6. श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पता- जी-14, संजय मिश्रा नगर, आगरा रोड, दौसा (गारन्टर)

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बाबत सम्पत्ति खसरा नंबर 112, ग्राम गणेशपुरा दौसा राजस्थान कुल क्षेत्रफल 45054.85 वर्ग गज का कब्जा दिलवाने हेतु।

उपस्थित : श्री सांवर सिंह कसाना, अधिवक्ता प्रार्थी।



आदेश

दिनांक: 12.04.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा कार्यालय पता-441 ए, राजापार्क गली नंबर-4, राजापार्क, जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 130.00 लाख, रुपये 330.00 लाख एवं रुपये 551.15 लाख की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

(Handwritten signature)

अधिवक्ता प्रार्थी पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा कार्यालय पता-441 ए, राजापार्क गली नंबर-4, राजापार्क, जयपुर को सुना गया। हमने प्रार्थी पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा कार्यालय पता-441 ए, राजापार्क गली नंबर-4, राजापार्क, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा कार्यालय पता-441 ए, राजापार्क गली नंबर-4, राजापार्क, जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने व समाचार पत्रों में प्रकाशन के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई संपत्ति खसरा नंबर 112, ग्राम गणेशपुरा दौसा राजस्थान कुल क्षेत्रफल 45054. 85 वर्गगज जिसकी चतुर्थ सीमाओं में पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में रोड, उत्तर में रोड, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा कार्यालय पता-441 ए, राजापार्क गली नंबर-4, राजापार्क, जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा